

राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता

विगत कई वर्षों से भारत विकास परिषद् पूरे भारतवर्ष में विद्यालय स्तर पर देशभिक्त गीतों की प्रतियोगिता आयोजित करती आ रही है। इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभिक्त की भावना जागृत करना और नैतिक मूल्यों का विकास करना है, जो कि आज के समय की महत्ती आवश्यकता है। प्रतियोगिता का स्वरूप एवं नियम:

- क. भाग लेने वाली टीम के लिए आवश्यक बिन्दु : यह प्रतियोगिता तीन भाषाओं में आयोजित की जायेगी (हिन्दी, संस्कृत और प्रावेशिक भाषा—लोकगीत) साथ ही चार विभिन्न स्तरों पर इसका आयोजन होगा—शाखा, प्रान्त, रीजन एवं राष्ट्र। प्रत्येक भाषा के लिए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिये जाएँगे, लेकिन हर एक स्तर के बाद अगले स्तर पर हिस्सा लेने के लिए केवल वहीं टीम योग्य मानी जाएगी जिसके हिन्दी एवं संस्कृत दोनों गीतों की प्रतियोगिता के अंकों का योगफल ज्यादा होगा।
- शाखा स्तर शाखा स्तर पर उस शाखा के कार्य क्षेत्र में स्थित कोई भी विद्यालय इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकता है।
- 2. प्रान्त स्तर उस प्रान्त की प्रत्येक शाखा केवल एक ही टीम को प्रान्त स्तर के राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भेज सकती है जिसने कि हिन्दी और संस्कृत गान के अंकों को जोडकर कुल अधिकतम अंक प्राप्त किये हैं।
- 3. रीजनल स्तर हर एक प्रान्त केवल एक टीम को ही रीजनल राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भेज सकती है जिसने कि हिन्दी और संस्कृत गान के अंकों को जोड़कर कुल अधिकतम् अंक प्राप्त किये हैं।
- 4. राष्ट्रीय स्तर प्रत्येक रीजन केवल एक ही टीम (जिसने कि हिन्दी और संस्कृत गान के अंकों को जोड़कर कुल अधिकतम अंक प्राप्त किये हैं) को राष्ट्रीय स्तर के राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में भेज सकती है।
- ख. प्रतियोगिता के नियम निम्नलिखित नियम सभी स्तर (शाखा, प्रान्त, रीजन और राष्ट्र) पर समान रूप से लागू होंगे।
- 1. विद्यालयों की पात्रता संगीत विद्यालय के अतिरिक्त सभी विद्यालय इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
- 2. प्रत्येक टीम तीनों भाषाओं (हिन्दी, संस्कृत और प्रादेशिक भाषा) का एक—एक गीत प्रस्तुत कर सकती है।
- 3. विद्यालय की पहचान गीतों की प्रस्तुति देते समय विद्यार्थी किसी भी तरह की पोशाक पहन सकते हैं, लेकिन विद्यालय के लोगों (बैज) विल्ला, टाई आदि जिसके द्वारा विद्यालय की पहचान प्रदर्शित हो उसका उपयोग करना मना है। प्रत्येक टीम के साथ कम से कम एक शिक्षक का होना अनिवार्य है।
- 4. गायकों की पात्रता एवं योग्यता प्रत्येक टीम में छठी से बारहवीं कक्षा के 6 से 8 (लड़के और लड़कियों) विद्यार्थी प्रतियोगिता में सहभागी हो सकते हैं



- 5. गीतों का चयन हिन्दी एवं संस्कृत गीतों के गायन के लिए भारत विकास परिषद् द्वारा प्रकाशित पुस्तक "राष्ट्रीय चेतना के स्वर" में से कोई भी गीत चुनकर उसका गायन कर सकते है। लेकिन गीत का कोई शब्द छूटना नहीं चाहिए। उनका मूल स्वरूप ही मान्य होगा अर्थात् पूरा गीत गान अनिवार्य है। लोकगीत प्रतियोगिता के लिए किसी भी प्रदेश की प्रादेशिक भाषा का कोई गीत चुनकर प्रस्तुति की जा सकती है, लेकिन गीत का हिन्दी या अंग्रेजी अनुवाद टीम पंजीयन के समय आयोजकों को उपलब्ध कराना होगा। ये गीत देशभिक्त / संस्कृति के विचारों से ओतप्रोत होना चाहिए।
- 6. वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रत्येक टीम के साथ अधिकतम तीन (3) वादक हो सकते हैं। एक वादक एक से ज्यादा वाद्य यंत्र बजा सकता है। बिजली और बैटरी से चलने वाला कोई भी वाद्य यंत्र मान्य नहीं होंगे। प्रत्येक टीम को अपने स्वयं के वाद्य यंत्र प्रयोग में लाने होंगे।
- 7. गीत की समयावधि प्रत्येक टीम को गीत गायन प्रतियोगिता के लिए 7 (सात) मिनट का समय अपने समूहगान प्रदर्शन के लिए दिया जाएगा एवं इस अवधि की गणना गीत या संगीत जो कि पहले आरंभ हो उससे की जाएगी।
- 8. गीत का भाव प्रदर्शन हिन्दी एवं संस्कृत गीत के प्रस्तुतिकरण के समय गीत के भावानुसार अपने स्थान पर खड़े रहकर शरीर के हाव—भाव प्रदर्शन की अनुमित है। मात्र लोकगीत की प्रतियोगिता में स्थान बदल सकते हैं।
- 9. सभी प्रतिभागी टीमों के लिए 'पुरस्कार वितरण समारोह' में उपस्थित रहना अनिवार्य है।
- ग. **आंकलन के नियम** अधिकतम अंक संख्या 100 होगीं ये अंक निम्न रूप से 20—20 अंकों में बांटे जाएंगे। संगीत—संयोजना, स्वर, ताल, उच्चारण एवं प्रस्तुतिकरण का ढंग।
- घ. सामान्य निर्देश:
- 1. पंजीयन शुल्क राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगता के लिए पंजीयन शुल्क रुपये 1000/— होगा। शाखा स्तर, प्रान्त स्तर एवं रीजन स्तर की राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के लिए पंजीयन शुल्क निर्धारण भारत विकास परिषद् के संबंधित आयोजकों द्वारा किया जायेगा।
- 2. गीत प्रस्तुति के क्रम प्रतियोगिता के कुछ समय पूर्व सभी टीमों के प्रमुख / शिक्षक को एक विशेष बैठक में बुलाया जाएगा, जिसमें आयोजन समिति द्वारा सभी के सामने प्रस्तुति के क्रम आदि का निर्णय ड्रा द्वारा लिया जाएगा, जो कि तीनों गीतों की प्रस्तुति के लिए एक ही क्रम होगा। संयोजक का निर्णय अंतिम और सभी के लिए एक होगा।
- 3. निर्णायक मंडल की नियुक्ति निर्णायक मंडल में अनुभवी संगीतज्ञ, कला विशेषज्ञ व भाषाविद होंगे। परिषद् द्वारा नियुक्त निर्णायकों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।





- (i) मंच पर **5 माइक गीत प्रस्तुतिकरण हेतु व 2 माइक** वादकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- (ii) मंच पर वादकों व गायकों की स्विधा के लिए 2 मोनिटर उपलब्ध करवाए जायेंगे।
- 5. निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था तीनों निर्णायकों के बैठने की व्यवस्था अलग—अलग होगी। जैसे कि एक मंच के सामने, दूसरे मंच के दाईं ओर एवं तीसरे मंच के बायीं ओर।
- भारत विकास परिषद् की आयोजन समिति का राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता से संबंधित किसी भी विषय में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 7. प्रतियोगिता की विजेता टोलियों के लिए अलग—अलग पुरस्कार होंगे। इन प्रतियोगि. ताओं में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को भारत विकास परिषद् द्वारा सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- शाखाओं / प्रान्तों / रीजनों से आने वाली टोलियों के आने जाने का किराया व संबंधित व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- 9. शाखाओं, प्रान्तों व रीजन से आने वाली विभिन्न टोलियों के खाने व रहने की निःशुल्क व्यवस्था आयोजक करेंगे।
- ड़. राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के विशेष पुरस्कार
- 1. अधिकतम सहमागिता पुरस्कार यह पुरस्कार उस शाखा को देय होगा जिसकी शाखा स्तर की राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता में अधिकतम विद्यालय सहभागिता देंगे। यह पुरस्कार प्रान्त स्तरीय राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के आयोजन के समय देय होगा
- 2. देशमिक्त गीतों का प्रतिदिन विद्यालय में गायन यह पुरस्कार उस शाखा को देय होगा जिस शाखा के प्रयासों के द्वारा अधिकतम विद्यालयों में प्रतिदिन 'राष्ट्रीय चेतना के स्वर' पुस्तक में संकलित गीतों में से कोई गीत अपनी नियमित प्रार्थना में गाया जाएगा। यह पुरस्कार प्रान्त स्तरीय समूहगान प्रतियोगिता आयोजन के समय शाखा को दिया जाएगा।
- 3. देशमिक्त गीत का महासमूह गायन पुरस्कार यह पुरस्कार देश भर की उस शाखा को देय होगा जिसने किसी राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त एवं महापुरुषों की जयन्तियों पर महासमूहगान का आयोजन नवम्बर माह के अन्त तक हो, (न्यूनतम सहभागिता 1000 विद्यार्थी)। पूरे देश में जिस शाखा द्वारा अधिकतम सहभागिता से इस महासमूह गायन आयोजन किया जाएगा उस शाखा को राष्ट्रीय स्तर की 'राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता' के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, सचिव, वित्त सचिव और कार्यक्रम समन्वयक का सम्मान करते हुए पुरस्कार दिया जाएगा।

विशेष : इस सन्दर्भ में विस्तृत सूचना, नियम, आधार इत्यादि का विस्तृत विवरण केन्द्रीय कार्यालय व राष्ट्रीय प्रकल्प चेयरमैन राष्ट्रीय समूहगान प्रतियोगिता के पास उपलब्ध रहेगा।



NATIONAL GROUP SONG COMPETITION

Since last many years Bharat Vikas Parishad has been organizing group song competitions of patriotic songs for schools all over India. Main aim of this event is to inculcate patriotism and moral values in the masses in general and in the students in particular which is an acute need of the hour.

RULES & REGULATIONS FOR NGSC:

- A) CRITERIA FOR THE PARTICIPATING TEAMS: Competitions of NGSC programme will be held in three different Categories (languages) Viz. Hindi, Sanskrit & Pradeshik Language (folk Song) at all levels i.e. Branch, Prant, Region & National. There will be three prizes viz first, second & third for performance in each category. But, only that team will be eligible to enter the higher level round of NGSC whose aggregate total marks of Hindi and Sanskrit are maximum.
- **1) Branch Level NGSC**: At Branch Level, any school within the area of that Branch can participate in competitions.
- 2) Prant Level NGSC: Each branch from that Prant will send one team of a school for Prantiya Level NGSC whose aggregate total marks of Hindi and Sanskrit Songs are maximum.
- **3) Regional Level NGSC :** Each Prant from that Region will send one team of a school for Regional Level NGSC whose aggregate total marks of Hindi and Sanskrit Songs are maximum.
- **4) National Level NGSC :** Each Region will send one team of a school for National Level NGSC whose aggregate total marks of Hindi and Sanskrit Songs are maximum.
- **B)** Rules for NGSC: These rules are applicable for NGSC Competitions at all Levels (Branch, Prant, Region & National.)
- **1) Eligibility of Schools :** Any school can participate in this competition except music school (Sangeet Vidhyalaya).
- 2) Each team can present three songs, Hindi, Sanskrit & Prantiya Language (Folk Song) i.e. one song from each language only.
- 3) Identity of the School: Participants may wear any type of dress at the time of presentation. Teams should not disclose the identity or name of their respective school while presenting the song by any means such as badge or logo. At least 1 (One) teacher from each school must accompany the team.
- **4) Eligibility of Singers & Number of Participants :** Students from the classes of 6th standard to 12th standard can participate in this competition. Each team shall consist of 6 to 8 students (including boys and girls).

राष्ट्रीय चेतना के श्वर 7



- 5) Selection of Songs: Any one song from "Rashtriya Chetna Ke Swar" published by Bharat Vikas Parishad can be presented. Full song without leaving any part or words should be presented for Hindi and Sanskrit songs competitions. For Folk Song Competition any song in their respective Prantiya Language will be selected by the team and a copy of the song with its translation in Hindi or English should be
 - Prantiya Language will be selected by the team and a copy of the song with its translation in Hindi or English should be given to the organisers of the event at the time of registration. This Song should have a cultural patriotic sense & meaning.
- 6) Use of Instruments: Instrumentalists with each team should not be more than 3 (Three). One Instrumentalist can operate or play more than one instrument simultaneously. Instruments which are electrically or battery operated are not allowed. Participating teams will bring their own musical instruments.
- **7) Duration of the Song :** Presentation of the song should be completed within 7 (Seven) minutes. The time shall be counted from the start of the music or the words of the song whichever is earlier.
- 8) Movement and Actions: During the presentation of Hindi and Sanskrit songs singers can express the emotions of the song by the movement of hands and feet but should not leave their place where they stand. During the presentation of Folk Songs participants are allowed to move from their places.
- **9)** It is absolutely compulsory for all participating teams to attend the prize distribution function.
- C) CRITERIA OF MARKS:

Maximum marks 100 will be equally divided into 5 parts of 20 each for music composition, Swar, Taal, Pronunciation and presentation.

- D) GENERAL GUIDLINES:
- 1) Registration Fee: Registration Fee for finals of NGSC is Rs. 1000/- (One Thousand Only) for every teams.

 Amount of Registration Fee for Branch Level, Prant Level & Regional Level NGSC can be decided by the concerned host body of Bharat Vikas Parishad.
- **2) Allotment of Team Numbers:** Before start of the programme, there will be a special meeting of the leaders/teachers of various teams in which a draw will be conducted for allotment of team numbers to each school.
- **3) Appointment of Judges :** Judges will be eminent persons in the field of Art, Music, Language etc. and their decision will be final and binding on all.



4) Stage Arrangements:

- a) There will be five mics for singers & two mics for instruments.
- b) Two monitors will be provided on stage.
- **5) Sitting Arrangement of Judges :** Sitting Arrangement of the Judges will be at three different places viz. Center, left & right infront of the stage.
- 6) The organizing committee of BVP will be fully empowered to take decision in any matter related to NGSC.
- 7) Prizes will be awarded to the winning teams. Each participant of all teams will be given a certificate of performance by Bharat Vikas Parishad.
- 8) Travelling and other related expenses are to be borne by branches, Prants and Regions or the participating teams themselves.
- **9)** Lodging and Boarding arrangements will be provided free of costs by the organisers for all teams coming from various Branches, Prant and Region.
- E) Special Prizes for NGSC:
- 1) Maximum Participation Prize: This prize will be given to a Branch in which maximum no. of schools have participated in NGSC. This prize will be given in the Event of Prant Level NGSC Programme.
- 2) Prize For Daily Singing of Patriotic Song in a School: This prize will be given to a Branch of which one or more school are practicing daily singing of a Patriotic Song from the book 'Chetana Ke Swar' along with their regular prayer (Prarthana). Prize will be given to Branch in which maximum no. of school follow this practice. This prize will be given in the Event of Prant Level NGSC Programme.
- 3) Prize For Mega Event of Group Song: This prize will be given to a Branch from all over India who will organize a programme of Group Song in which maximum no. of students will participate (atleast 1000 students) at a big ground in a City on any National Day (such as 15th August or any birth anniversary (Jayanti) of any National Leader) before the end of November. This prize will be given to a winning team in a National Level NGSC Programme.

The President, Secretary, Treasurer and the Convenor of the programme will be felicitated while handing over the prize.

Note: Detailed information, rules, criteria, etc. will be available at the Central Office of BVPèNational Project Chairman of NGSC.